

लन्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,

संघर्ष मार्ग-14 लखनऊ

सं०-785-काविनी-29/ पाकालि/2007-2001

दिनांक: 18 अक्टूबर, 07

कार्यालय काम

कार्यालय ज्ञाप संख्या 589-काविनी/ पाकालि-29/ 2007-2001, दिनांक 20.09.07 के बिन्दु -1 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

आदेश सं०-589-काविनी/ पाकालि/ -29, दिनांक 20.09.07 के अनुसार प्रातिमान	एतद्वारा संशोधित प्राविधान
बिन्दु-1 : दिनांक 14.01.2000 के पश्चात् नियुक्त समस्त कार्मिकों का सी०पी०एफ० अंशदान "मूल वेतन एवं मँहगाई वेतन के योग" का 10 प्रतिशत होगा !	बिन्दु-1 दिनांक 14.01.2000 के पश्चात् नियुक्त समस्त कार्मिकों का सी०पी०एफ० अंशदान "मूल वेतन एवं मँहगाई मत्ते के योग" का 10 प्रतिशत होगा ।

उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.09.07. के अन्य बिन्दु यथावत् रहेंगे ।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं० -785 (I)-काविनी-29/ पाकालि/ 2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ० प्र० शासन, बानू, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०, कानपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, पूर्वांचल, वाराणसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, दक्षिणांचल, आगरा।
8. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, पश्चिमांचल, मेरठ।
9. मुख्य अभियंता (जल-विद्युत) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. तनूत मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग/ जांच समिति-प्रथम/ द्वितीय, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ कि वे इस अंशदायी योजना की लेखांकन प्रक्रिया का आदेश अपने स्तर से निर्गता करना सुनिश्चित करें।
13. उपा महाप्रबन्धक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त उपा महाप्रबन्धक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. सचिव, उ० प्र० राज्य ऊर्जा विकास निगम, लखनऊ।
16. कम्पनी सचिव, उ० प्र० पावर सेक्टर इन्फ्रस्ट्रक्चर ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. समस्त उपा मुख्य लेखाधिकारी/ क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
18. समस्त अधिशासी अभियंता, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
19. मुख्य प्रबन्धक सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जापलिंग रोड, लखनऊ।
20. अध्यक्ष, विद्युत पेशानर्स परिषद, उ० प्र०, 103 कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर ग्राइडिंग, स्टेशन रोड, लखनऊ।

आज्ञा से,

(बी० के० मट्ट)

मुख्य महाप्रबन्धक (का० प्र०-प्रथम)

5/23